जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 43 संख्याः 195 प्रभात बीकानेर, बुधवार 9 फरवरी, 2022 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रू.

दुनिया भर के कई पारम्परिक समाजों में भी ''प्राकृतिक धर्म'' का पालन होता है। दक्षिण-पश्चिम चीन में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मिआओ आदिवासी अपने पारम्परिक उत्सवों, खासकर खुले क्षेत्रों में होने वाले उत्सवों में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके पूर्वजों के साथ आध्यात्मिक सम्पर्क को मजबूत करें और साथ ही जीवित व्यक्तियों के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाएं व सौभाग्य प्रदान करें। ये लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं। ऐसे मौकों पर पहनी जाने वाली पोशाकों को ''हण्ड्रैड बर्ड कोट'' कहते हैं, जो कि हाथ से कते सूत से बनती हैं। सात से दस, कपड़े की पट्टियों से बनने वाली इस ड्रैस पर महिलाएं कशीदाकारी द्वारा पक्षी, कीड़े, मेंढक , ड्रैगन, तितली तथा मिआओ रहस्यवादी संस्कृति के सिम्बल और ज्यामितीय आकृतियां बनाती हैं। पक्षी चूंकि जमीन पर भी चलते हैं और गगन में उड़ते हैं इसलिए इन्हें आध्यात्मिक ताकतों का अवतार माना जाता है। एक ड्रैस में चिड़ियों की सैकड़ों आकृतियाँ हो सकती हैं। हण्ड्रैड-बर्ड ड्रैस के विभिन्न स्टाइल व तकनीक, शोख रंग तथा विविध सांस्कृतिक संकेतों में मिआओ संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। इस कला को सन् 2006 में, चीन की पहली, नैशनल इन्टैन्जिबल कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया था।

मेघालय में वह कर दिखाया, जो कभी देश की राजनीति में सोचना भी मुश्किल

भाजपा व कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनायी इस नॉर्थ ईस्ट के छोटे से राज्य में

- तृणमूल पार्टी ने, कांग्रेस के विधायकों द्वारा दल-बदल करवाकर 17 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल के बारह विधायकों को तृणमूल पार्टी का सदस्य बना लिया।
- पर, पांच बचे हुए कांग्रेस विधायकों ने स्वयमेव अपने स्तर पर निर्णय लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली कोनार्ड संगमा की सरकार को समर्थन दे दिया, इन विधायकों ने न तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी, न कोई दूसरी पार्टी से जुड़े। इन विधायकों ने कांग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा, वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और रहेंगे, परन्तु स्थानीय परिस्थितियों के कारण, अपने विवेक से पार्टी व राज्य के हित में संगमा की पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है।
- इन विधायकों के इस कृत्य से तृणमूल कांग्रेस ताकती रह गयी और सबसे बड़े विपक्ष के दल के रूप में अपनी भूमिका निभाने को मजबूर हुई।
- सरकार न बना पाने के कारण, तृणमूल के विधायक ज्यादा दिन पार्टी में नहीं बने रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस विगठित होकर लुप्त हो जायेगी मेघालय में।
- मेघनाद देसाई ने इस तरह से दो अलग-अलग विचारधाराओं की पार्टियों को मिलकर सरकार बनाने की परिकल्पना की थी तथा इस तरह के घटनाक्रम को देश के लिये शुभ ही माना था।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन, हाऊस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाद देसाई को एक अद्वितीय दूरदर्शिता का श्रेय जरूर देना चाहिए।

लॉर्ड देसाई ने कभी जिस असंभव राजनीतिक विन्यास का सुझाव दिया था वह भारत के सुदूर उत्तर-पूर्वी भाग में सच साबित हुआ है। मेघालय में भाजपा और कांग्रेस एक ही गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं। यहां राज्य विधानसभा के पांच कांग्रेसी सदस्यों ने कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली भाजपा समर्थित सरकार से हाथ मिलाया है।

कांग्रेस के पांच विधायकों ने आज नैशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली कॉनराड संगमा सरकार को अपना औपचारिक समर्थन दिया। उन्होंने मेघालय डवलपमैंट अलायन्स (एस.डी.ए.) की वर्तमान गठबंधन सरकार को अपना समर्थन दिया।

वर्षों पहले, दिल्ली की एक बड़ी सभा में लॉर्ड देसाई ने सुझाव दिया था कि, दोनों राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस तथा भाजपा को देश के व्यापक हित में एक-दूसरे से हाथ मिलाकर एक ''राष्ट्रीय सरकार'' का गठन करना चाहिए।

''इसके बाद, कांग्रेस और भाजपा की गठबंधन सरकार आपसी विचार-विमर्श और समझ से देश का तीव्र गति से विकास कर सकती हैं।''

उन्होंने कहा था कि, आर्थिक नीतियां भी गरीबों के साथ ही उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए ताकि देश का विकास तेजी से हो सके।

लॉर्ड देसाई किसी समय ब्रिटेन में वृहद् सामाजिक अधिकारों की मांग करने वाले ''न्यू लैफ्ट'' के प्रमुख पैरोकार हुआ करते थे। यूरोप में वामपंथी विचारधारा के सैद्धांतिक पक्ष में बदलाव करने में भी उनकी भूमिका थी। यूरोप के कई हिस्सों में अब वामपंथी फिर से सत्ता में आ गए हैं या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

75,000 करोड़ रू. का फर्जी कोविड टैस्ट का भण्डा फोड़ा नागपुर के वकील ने

इन लैब्स के पास न तो टैस्ट करने के लिये उपकरण मौजूद हैं, न स्टाफ/टैक्नीशियन हैं और ना ही पैथॉलजिस्ट डॉक्टर

- ये लैब्स एक दिन में लाखों टैस्ट करती हैं। उदाहरण के लिये 4 फरवरी को 16 लाख तीन हजार आठ सौ छप्पन टैस्ट किये थे।
- इन फर्जी टैस्ट के कारण लाखों मरीज अस्पतालों में ''इलाज'' के लिये भर्ती होते हैं, जबकि उनको कोविड-19 हुआ ही नहीं है।
- अस्पताल में लाखों रूपए इन मरीजों से वसूल किए जाते हैं।
- वकील ने प्र.मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, एम्स के मुखिया के चिट्ठी लिखकर, इस प्रकरण की पूरी जांच कराने की मांग की है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। करोना वायरस का पता लगाने वाले आपके आर.टी.पी.सी.आर. टैस्ट वास्तविक थे या फिर, अस्पतालों ने, अनाधिकृत लैब्स की टैस्ट रिपोर्ट्स, जिन्होंने आपको पॉज़िटिव बताया, के आधार पर आपसे लाखों रूपए ऐंठे? वायरस के खतरनाक प्रसार से देश में भय पैदा करने के पीछे इन रिपोर्ट्स का हाथ हो सकता है।

नागपुर निवासी एवं ग्राहक भारती के वकील विनोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि, इन लैबोरेटरीज़ ने कोविड जांच के फर्जी सर्टिफिकेट्स जारी करके 75 हजार करोड़ से अधिक की जालसाजी की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि, ये सर्टिफिकेट्स छोटे कस्बों की उन टैस्ट लैबोरेटरीज़ से जारी किए गए, जिसके पास जरूरी उपकरण और सुविधाएं नहीं हैं और इस प्रकार की टैस्ट रिपोर्ट्स साइन करने के लिए अनिवार्य माने जाने वाले पैथॉलजिस्ट एवं माइक्रोबायॉलजिस्ट भी नहीं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मण्डविया, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव, एम्स प्रमुख और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को लिखे एक पत्र में तिवारी ने दावा किया कि, ये फर्जी लैब्स 3 हजार 174 मान्यता प्राप्त लैब्स के बैनर तले कार्य कर रही हैं और उन डॉक्टर्स के डिजिटल हस्ताक्षरों वाली कोविड टैस्ट रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं, जो इनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं।

तिवारी कहते हैं कि, ये छोटी लैब्स देश के विभिन्न जिलों में अब भी सैम्पल्स कलैक्शन और रिपोर्ट्स जारी करने के काम में लगी हुई हैं। सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि, ये अनधिकृत लैब्स प्रतिदिन लाखों टैस्ट करती हैं। उन्होंने इस संबंध में 16 लाख 3 हजार 856 टैस्ट्स का एक उदाहरण दिया, कथित रूप से जो 4 फरवरी को किए गए थे।

मार्च 2020 से संचालित इन फर्जी लैब्स के बारे में तिवारी ने कहा कि, टैस्ट के नाम पर लोगों से 75 हजार करोड़ रूपए की धोखाधड़ी की गई। इस अवैध धंधे को तुरंत प्रभाव से रोकने का अनुरोध करते हुए उन्होंने इसके लिए एक जांच कमेटी गठित करने की मांग की।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से प्रकाशित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राहुल गांधी को गुमराह किया गया'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू मंगलवार को अपने पति एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में आ गईं। उन्होंने

- सिद्धू की पत्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को मु.मंत्री पद का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया तथा कहा, राहुल गांधी को गुमराह किया गया, जिसके कारण उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मु.मंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।

कहा कि, राज्य के विधानसभा चुनावों में पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रुप में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चयन के मामले में राहुल गांधी को गुमराह किया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने पत्रकारों के अधिस्वीकरण (एक्रडिशन) के लिये नये अद्भुत कानून बनाए

- पत्रकार पी.आई.बी. (प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो) द्वारा प्रदत एक्रडिशन से वंचित किये जा सकते हैं, इन नये नियमों के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा व नैतिकता के मुद्दों के कारण।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रण में लेने के नये तरीकों की शुरुआत करते हुये, मोदी सरकार ने आज पत्रकारों के काम करने के लिये बड़ी कठोर शर्तें लगा दीं। सरकार ने अब एक ऐसा नियामक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो उन मीडियाकर्मियों पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा, जिन्होंने सरकार के अधिकारिक आदेशों के आगे झुकने से कर दिया है।

सूचना-प्रचारण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई तथा प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा घोषित नई प्रमाणीकरण/मान्यता (एक्रिडिटेशन) नीति का एक प्रावधान कहता है कि, अगर कोई पत्रकार ''इस तरीके से काम करता है, जो भारत की एकता एवं प्रभुसत्ता, देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, मर्यादा या नैतिकता या अदालत की अवमानना से संबंधित कार्य करने, निन्दा या मानहानि या किसी अपराध के लिये उकसाने या भड़काने के प्रति पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रहयुक्त हो,'' तो उसकी सरकारी मान्यता रद्द हो सकती है।

2013 में जारी की गई पिछली नीति में इस प्रकार की शर्तों का उल्लेख नहीं था। मान्यता की सामान्य शर्तों के अन्तर्गत, पूर्ववर्ती नीति में कहा गया था कि, ''जिन शर्तों पर मान्यता दी गई थी, जैसे ही वे अस्तित्व में नहीं रहेंगी, मान्यता वापस ले ली जायेगी। अगर मान्यता का दुरुपयोग सामने आता है, तो उस स्थिति में भी वापस ली जा सकती है/निलम्बित की जा सकती है।''

नई नीति पर फिलहाल काम चल रहा है तथा इसीलिये वर्तमान मान्यता दस्तावेजों के नवीनीकरण में विलम्ब किया गया है। नई नीति के तहत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर काम कर रहे पत्रकार मान्यता के लिये पात्र माने जायेंगे।

नई नीति में, उन शर्तों को लेकर अलग अनुच्छेद है, जिनके तहत किसी पत्रकार की मान्यता निलम्बित की जा सकती है। इसमें 10 बिन्दु हैं जिनमें से एक बिन्दु में यह भी कहा गया है कि, अगर किसी पत्रकार पर कोई ''गंभीर संज्ञेय (कॉग्निज़ेबल) अपराध का आरोप है तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है।''

मान्यता के निलम्बन की अन्य शर्तों में शामिल हैं- मान्यता का ''गैर-पत्रकारिता-गतिविधियों'' के लिये उपयोग करना, गलत जानकारी देना, उस प्रतिष्ठान का बंद हो जाना, जिसका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैगसस द्वारा जासूसी!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। पत्रकारों

- इज़रायल की कम्पनी एन.एस.ओ. द्वारा विकसित इस जासूसी उपकरण व सिस्टम का उपयोग केवल विदेशी सरकार ने ही नहीं किया, बल्कि इज़रायल की सरकार ने अपने राजनीतिज्ञों, बिज़नैसमैन, सरकारी अधिकारियों की जासूसी करने के लिये फोन टैपिंग में इस्तेमाल किया।

तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर जिले में भूमि घोटाले का दिल्ली पुलिस ने भण्डाफोड़ किया

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोतानाला के पास फर्जी प्लॉट बेचने वाला बिल्डर गिरफ्तार

- आरोपी बिल्डर ने हैबीटैक इन्फ्रावैन्चर्स के नाम से कम्पनी बना रखी है।
- फर्जी तरीके से विज्ञापन देकर लोगों से ठगी करता था।
- एक आरोपी, कमल सिंह अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर।

कोटपूतली/नई दिल्ली, 8 फरवरी। दिल्ली पुलिस ने जयपुर जिले के कोटपूतली के पनियाला थाना क्षेत्र के सोतानाला के निकट हुए एक भूमि घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली निवासी एक बिल्डर विजय चौधरी पुत्र भगवत चौधरी को गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि ठगी के आरोपी विजय चौधरी व ग्रेटर नोएडा निवासी कमल सिंह पुत्र जतपाल सिंह राजपूत ने दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में एक कंपनी हैबिटैक इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित कर रखी है, जो खरीदारों को अपनी परियोजना ''हैबीटैक विशटाउन'' में पनियाला थाना क्षेत्र के सोतानाला के निकट व नीमराणा में प्लॉट बुक करने के लिए प्रेरित करती है।

आपको बता दें कि ठगी की शिकार हुई जयपुर के वैशाली नगर निवासी प्रिय दर्शनी शेखावत पत्नी सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने दोनों आरोपियों, विजय व कमल सिंह के खिलाफ 13 मार्च 2021 को स्थानीय पनियाला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त कम्पनी के दोनों लोगों ने उसे फर्जी विज्ञापन दिखा कर प्लाट के नाम पर उससे करीब 37 लाख रूपये कि ठगी कर ली। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 447,420 व 406 के तहत मामला दर्ज किया था।

इसके अलावा अजय कुमार पाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी विकास नगर रेवाड़ी, बबलेश कुमार चौहान पुत्र पीरू सिंह चौहान निवासी मधुशाह नगर रेवाड़ी, रणसिंह पुत्र उदय सिंह निवासी भदौज, थाना बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा, परमीत सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी उठयारा 123 कुरूक्षेत्र हरियाणा, इन्द्रपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी आमदा चेतराम की ढाणी उत्तम नगर रेवाड़ी, सतवीर पुत्र चन्दगी राम निवासी भदकी जिला गुड़गावां हरियाणा, राजसिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी बलेवा पोस्ट खलीलपुर जिला गुड़गावां, अजय पुत्र रामपाल निवासी भानकी जिला गुड़गावां, संजय पुत्र जगदीश चन्द निवासी अमर कॉलोनी गुड़गावां व संजय पुत्र बलेश्वर पाण्डे निवासी गली नं.4 शिव कॉलोनी कालूवास रोड़ कंनकार वाली रेवाड़ी ने गत 1 नवम्बर 2021 को इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाकर शिकायत की थी इन्होंने फर्जी कम्पनी बना कर और मनघड़न्त विज्ञापन देकर सोतानाला के पास मलपुरा में प्लाटों का बेचान कर लाखों रूपये की ठगी की है।

इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467,468,120 बी के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच पनियाला थाने के ए.एस.आई. रतन सिंह को सौंपी, जिन्होंने एक आरोपी विजय पुत्र भगवत चौधरी निवासी पश्चिम विहार, 75 पॉकेट पश्चिमपुरी नई दिल्ली को विगत 17 नवम्बर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकार दोनों आरोपियों के खिलाफ पनियाला थाने में 11 मामले दर्ज हैं। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरास्त में चल रहा था। जिसे दिल्ली पुलिस ने संबंधित अदालत से आवश्यक अनुमति लेने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। यह भी बता दें कि तहसीलदार, कोटपूतली के कार्यालय से दस्तावेज एकत्र किए गए जिससे यह स्थापित हुआ कि आरोपी कंपनी के पास पर्याप्त जमीन नहीं थी और जो भी जमीन खरीदी गई थी वह छोटे पार्सल में थी, तथा एक टाउनशिप विकसित करने के लिए बेकार थी। आरोपी कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि को बाद में मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड से जुड़े मुकदमों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा समिति द्वारा जब्त कर लिया गया था।

मेहर सिंह राणा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी पावर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों वाली एक संविधान पीठ ने मंगलवार को ''अडानी पावर'' के खिलाफ दायर की गई

- आपसी समझौते के बाद, अडानी पावर व गुजरात ऊर्जा विकास निगम के बीच चल रहे विवाद को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बैंच ने ड्राप कर दिया। ऊर्जा विकास निगम अडानी पावर को 1100 करोड़ रू. का मुआवजा देगा।

क्युरेटिव याचिका को बंद कर दिया, क्योंकि संबंधित मुद्दे पर 3 जनवरी को समझौता हो गया था।

पब्लिक सैक्टर यूनिट ''गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड'' (जी.यू.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)